(वाद सं0–2135/18)

11.10.2019

प्रसंगाधीन मामला स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अधीन प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक के कर्मियों के प्रोन्नति से संबंधित है।

उक्त के संबंध में स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक से संबंधित संवर्ग नियमावली के गठन का प्रस्ताव वर्तमान में राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष विचाराधीन है साथ–ही–साथ उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक के नियमित वरीयता सूची को बनाना अभी प्रक्रियाधीन है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP-30.6.21/2011 व सिविल अपील संख्या 4880/2017 के अंतर्गत पारित आदेश/अन्तरिम आदेश व उनके लम्बित रहने के आलोक में बिहार सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली प्रोन्नतियों को स्थगित रखने से सम्बन्धित परिपत्र निर्गत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोग को आश्वस्त किया गया है कि उपरोक्त स्थगनादेश के हटने व प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली के अधिसूचित होने के उपरांत परिवादी के प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक के पद से उपजिला प्रसार एवं मीडिया पदाधिकारी के पद पर नियमानुकूल प्रोन्नति के समय विचार किया जा सकेगा।

स्वास्थ्य विभाग के उपरोक्त पत्र के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को आयोग के स्तर पर बंद किया जाता है।

आज पारित आदेश के साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रतिवेदन (पृष्ठ–93/प0) की प्रति के साथ परिवादी को तद्नुसार सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>